न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 210/2018

वादी :– पप्पूराम पुत्र श्री बुद्धाराम, जाति जाट, निवासी सोगावास, तहसील मेड़ता जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. बुद्धाराम पुत्र श्री दुर्गाराम
2. लाबूराम पुत्र श्री बुद्धाराम

   जातियान जाट, निवासीगण सोगावास

   तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
3. तहसीलदार मेड़ता।
4. पटवारी, पटवार हल्का, मेड़ता।

वाद बाबत बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी. एक्ट

निर्णय दिनांक :–31.08.2018

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने दावा बाबत बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू है व हिन्दू विधि की बनारस स्कूल से गर्वन होते है। मौजा मेड़ता की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 2523 रकबा 2.21 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा नम्बर 2547/5231 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा नम्बर 2548 रकबा 2.31 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा नम्बर 2558 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा

Scanned by CamScanner

नम्बर 2671 रकबा 1.26 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा नम्बर 2691 रकबा 1.64 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी के खेत आये हुए है। जो वादी व प्रतिवादीगण को उत्तराधिकार में प्राप्त हुए है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का समान हक व हिस्सा आया हुआ है। उपरोक्त खसरान का मौके पर वादी व प्रतिवादीगण के बीच बंटवाड़ा किया हुआ है मगर बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नही होने से यह वाद पेश है। मौके पर बंटवाड़ा अर्जीदावा के पैरा संख्या 3 में वर्णितानुसार है। उक्त बंटवाड़ा के अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज है, उसके बावजूद भी वादी के नाम बंट के अनुसार खातेदारी दर्ज नही होने से वादी के. सी.सी. व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहा है, जिससे बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नही हुआ होने के कारण उक्त वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ, सो वाद पेश है। वादी एवं प्रतिवादीगण का उपरोक्त बंटवाड़ा अनुसार अलग–अलग बंट घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग खातेदारी दर्ज की जाकर राजस्व नक्शा में अलग–अलग दर्शाई जावें, जिस हेतु यह घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती का वाद पेश करना लाजमी होने से वाद पेश है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 9 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा मेड़ता की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074, खाता संख्या 639, नक्शा ट्रेस, आधार कार्ड पप्पुराम, आधार कार्ड बुधाराम, आधार कार्ड लाबूराम चौधरी की प्रतियां पेशी

Scanned by CamScanner

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से वकील श्री गिरधारीलाल ने वकालतनामा पेश किया तथा उनका इकबालिया जवाबदावा पेश किया तथा वादी वं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 बावजूद सम्मन तारीख पेशी 30.08.2018 को अनुपस्थित रहने से आज दिनांक 31.08.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

6.(1) **वादी पप्पूराम के बंट में :–** मौजा मेड़ता की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 2523 रकबा 2.21 हैक्टेयर में से 1/2 पूर्वी हिस्सा(रकबा 1.105 हैक्टेयर) भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

6.(2) **प्रतिवादी संख्या 1 बुद्धाराम के बंट में :–** मौजा मेड़ता की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 2547/5231 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2548 रकबा 2.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2558 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2671 रकबा 1.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2691 रकबा 1. 64 हैक्टेयर जमीन बंट व खातेदारी में रहेगी।

Scanned by CamScanner

6.(3) प्रतिवादी संख्या 2 लाबूराम के बंट में :– मौजा मेड़ता की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 2523 रकबा 2.21 हैक्टेयर में से 1/2 पश्चिमी हिस्सा(रकबा 1.105 हैक्टेयर) जमीन बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना

उपखण्ड अधिकारी,

मेड़ता

Scanned by CamScanner